**झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में**

**सी0एम0पी0 संख्या–402 / 2019**

श्रवण सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने उप सचिव, भूमि और राजस्व विभाग, रांची के माध्यम से
2. उप सचिव, भूमि और राजस्व विभाग, रांची
3. उपायुक्त, बोकारो शिविर–II, बोकारो
4. अनुमंडल अधिकारी, चास, बोकारो
5. वन प्रमंडल पदाधिकारी जिसका कार्यालय चास, जिला–बोकारो में है

..... प्रत्यर्थीगण

**कोरम:** **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री रमा कांत तिवारी, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री श्वेता कुमारी, जी0पी0–IV के ए0सी0

**04 / 27.09.2019** यह याचिका, रिट याचिका संख्या 4383 / 2017 की बहाली के लिए दायर की गई है, जो उस रिट याचिका में दिनांक 14.09.2018 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण 24.09.2018 को खारिज कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या–4383 / 2017 में दिनांक 25.08.2018 के अलुल्लंघनीय आदेश द्वारा, याची को

कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.08.2018 के आदेश के अनुसार त्रुटियों को दूर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए आई0ए0 संख्या–8170/2018 दाखिल की। उक्त अंतवर्ती आवेदन में दिनांक 14.09.2018 के अनुल्लंघनीय आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता को कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का और समय दिया गया था और 25.08.2018 के आदेश को उस सीमा तक संशोधित किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से 14.09.2018 के आदेश से दो सप्ताह के अनुल्लंघनीय आदेश की गणना इस धारणा के साथ की कि यह आदेश 28.09.2018 को समाप्त हो जाएगा। हालांकि, कार्यालय की व्याख्या के अनुसार, 25.08.2018 और 14.09.2018 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, कुल मिलाकर चार सप्ताह के अनिवार्य समय की गणना 25.08.2018 से की जानी थी और इस प्रकार रिट याचिका को दिनांक 25.08.2018 के आदेश अनुपालन नहीं करने के लिए 24.09.2018 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था।

तथापि, याची के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि चूंकि याची द्वारा भ्रम के कारण अनुल्लंघनीय समय की गलत गणना की गई थी, इसलिए डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या–4383/2017 को बहाल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता वचन देता है कि रिट याचिका में शेष त्रुटियों को 18 अक्टूबर, 2019 तक दूर कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस सी0एम0पी0 में बताए गए कारणों से, इस डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या–4383/2017 को इस शर्त के साथ

कि याचिकाकर्ता डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या–4383/2017 में कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को 18.10.2019 तक हटा देगा और आगे याचिकाकर्ता उक्त अवधि के भीतर अधिवक्ता क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर फंड, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के पक्ष में 1,000/– रूपये की (कॉस्ट) का भुगतान करेगा। सी0एम0पी0 का निपटारा कर दिया गया है।

(राजेश शंकर, न्याया0)